नुसूची 14 फारम सं0 502।

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारा)।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

झारखण्ड राज्य सरकार
बनाम
राजु चौधरी एवं अन्य

देश पत्रक ता0– 10/01/25 से तक

जिला– बोकारो केश सं0– 51 / 2024–25

केश का प्रकार– झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण।

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
10/01/2025	राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक अंचल कार्यालय, गोमिया के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– गोमिया, थाना सं0–110, खाता सं0–272, प्लॉट सं0–2290, रकवा–17 डी0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है, जिसमें राजु चौधरी, पिता– स्व0 बुद्धदेव चौधरी एवं पुलकी देवी, पति– सुगन गोप ग्राम– चौधरी टोला गोमिया, थाना–गोमिया, जिला–बोकारो के द्वारा अनाधिकृत रूप से चाहरदिवारी निर्माण कर दिया गया है, जो झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(I)(e) के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि है। अतः झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा–3 के तहत उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक–10/02/25को उपस्थापित करें। 9.1.25 अंचल अधिकारी, गोमिया	100 Notice 10/01/25
10/02/2025	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी को नोटिस तामिल किया गया। उनके द्वारा हाजिरी दी गई है। विपक्षी के द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने हेतु समय की माँग की गई है, जिसे स्वीकार किया जाता है। अभिलेख दिनांक – 03/03/2025 को रखें। 10.2.25 अंचल अधिकारी गोमिया	

03/03/2025

विपक्षी सं० - (1) एवं (2) की ओर से लिखित जवाब दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष को सुना गया है। इनके द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित कुछ राजस्व कागजात समर्पित किया गया है जो प्रथम द्रष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है। साथ ही यह अवैध जमाबंदी का मामला लगता है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

यह अवैध जमाबंदी के मामला प्रतीत होने के कारण BLR Act - 1950 की धारा - 4(H) के तहत कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की माँग करें।

3/3/25
अंचल अधिकारी
गोगरिया।

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.05.10 15:42:28 +05:30
Location: 192.168.33.139